<u>2021 का विधेयक संख्यांक 143.</u>

[दि फार्म लॉज रिपील बिल, 2021 का हिन्दी अनुवाद]

कृषि विधि निरसन विधेयक, 2021

कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम, 2020, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम, 2020, आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020 का निरसन तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 का संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के बहतरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम कृषि विधि निरसन अधिनियम, 2021 है । संक्षिप्त नाम ।

2. कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम, 2020, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम, 2020 तथा आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020 का निरसन किया जाता है । 2020 के अधिनियम सं. 20, 2020 के अधिनियम सं. 21 और 2020 के अधिनियम सं. 22 का निरसन ।

3. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (1क) का लोप किया जाएगा । 1955 के अधिनियम सं. 10 का संशोधन ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

कृषि विपणन, उत्पादकों और क्रेताओं को आवश्यक सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है । भारत में अधिकांश किसान लघु और सीमान्त किसान हैं जिनके पास दो हैक्टर से कम भूमि है । सरकार ने किसानों, जिसके अन्तर्गत लघु और सीमान्त किसान हैं, की सहायता करने के लिए क्वालिटी बीज, प्रत्यय, बीमा, उपापन और बाजार सहायता उपलब्ध कराके अनेक मध्यक्षेप किए हैं ।

2. कृषि विभाग के बजट आबंटन को वर्ष 2014 से पांच गुणा से अधिक बढ़ा दिया गया है और इस वर्ष एक सौ तेइस लाख करोड़ रुपए विभिन्न स्कीमों या कार्यक्रमों पर खर्च किए जा रहे हैं । मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम के अधीन लगभग बाइस करोड़ कार्ड किसानों को वितरित किए गए हैं जिनका उद्देश्य कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना है । एक और अन्य स्कीम के अधीन एक सौ छह लाख करोड़ रुपए सीधे ग्यारह करोड़ किसानों को अन्तरित किए गए हैं । लघु और सीमान्त किसानों की मोल-भाव करने की शक्ति में वृद्धि करने के लिए दस हजार किसान उत्पादक संगठनों की विरचना और संवर्धन करने के लिए छह हजार आठ सौ पैंसठ करोड़ रुपए की एक केन्द्रीय सेक्टर स्कीम आरंभ की गई है । किसानों के लिए जोखिम को कम करने हेतु बीमा योजना के अधीन बीमा किया गया है । वर्ष 2016 में उक्त योजना को आरंभ करने से एक लाख करोड़ रुपए से अधिक दावों का निपटान किया गया है जिससे लगभग आठ करोड़ तिरासी लाख किसानों के दावों को फायदा हुआ है । एक लाख करोड़ रुपए की कृषि अवसंरचना निधि, भांडागार प्रशीतित भंडार और सदृश्य आस्तियों जैसी फसल पश्य अवसंरचना के लिए फार्म गेट में विनिधान का संवर्धन करेगी । राष्ट्रीय कृषि बाजार, पारदर्शी मूल्य प्राप्त करने के लिए एक अखिल भारतीय आभासी व्यापार मंच आरंभ करने के साथ कृषि विपणन अवसंरचना का अधुनिकीकरण किया गया है । फसल ऋण के लिए प्रत्यय प्रवाह वर्ष 2014 से दोगुना हो कर सोलह लाख करोड़ रुपए हो गया है । अत्यंत लघु सिंचाई के लिए आबंटन दोगुना कर दिया गया है । प्राकृतिक कृषि, जैविक कृषि, आयल पाम मिशन, दलहन मिशन और कृषि का मशीनीकरण जैसी किसान कल्याण स्कीमों और कार्यक्रमों का विस्तार किया गया है । धान और गेहूं के अतिरिक्त तिलहन, दलहन और कपास के उत्पादन और उपापन की लागत की पहली बार कम से कम डेढ गुणा न्यूनतम विक्रय कीमत नियत की गई है ।

3. किसानों को उच्चतर कीमतों पर अपनी उपज का विक्रय करने में समर्थ बनाने के लिए और तकनीकी सुधारों, से फायदा लेने के लिए किसानों को कृषि मंडियों तक पहुंच उपलब्ध कराई गई है जो उन्हें उनकी आय बढ़ाने में सहायता करेगी । इस उद्देश्य के साथ तीन कृषि विधियों, अर्थात् :—(i) कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम, 2020 (2020 का 20); (ii) कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम, 2020 (2020 का 21); (iii) आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 का 22) को सरकार के किसानों जिसके अन्तर्गत लघु और सीमान्त किसान भी हैं की स्थिति में सुधार करने के प्रयास के रूप में अधिनियमित किया गया था । ये अधिनिमितियां—

(क) किसानों को अपनी उपज किसी भी क्रेता को उनकी पसन्द के स्थान पर विक्रय करने के लिए स्वतंत्रता प्रदान करती है, जिससे वह पारिश्रमिक कीमत प्राप्त कर सके, का उपबंध करती हैं ;

(ख) ऐसी पारिस्थितिकी का सृजन करती हैं, जिनमें प्रोसेसर, थोक क्रेता, संगठित खुदरा व्यापारी और निर्यातक तथा सदृश्य सीधे किसानों के साथ संपर्क कर सकते हैं ;

(ग) पारदर्शिता में सुधार करने और कीमत का पता लगाने के लिए इलैक्ट्रानिकी व्यापार हेतु सरल फ्रेम वर्क सृजित करती हैं ; और

(घ) किसानों के हितों की संरक्षा के लिए कृषि संविदाओं के लिए विधिक ढ़ांचे का उपबंध करती है, आर्थिक रूप से उन्हें सशक्त करती है तथा उनकी उपज के लिए अग्रिम में कीमत सुनिश्चित करती हैं,

वर्षों से किसानों, कृषि निर्यातकों, कृषि अर्थशास्त्रियों और देश भर से किसान संगठनों द्वारा यही मांग लगातार की जाती थी । कोविड-19 महामारी के दौरान अर्थव्यवस्था, जिसके अन्तर्गत कृषि और संबद्ध सेक्टर हैं, में सुधारकारी उपाय किए गए हैं ।

4. यह अधिनिमितियां किसानों और ग्रामीण सेक्टर के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए आवश्यकता को अनुभव करते हुए और किसान संगठनों की मांग, विशेषज्ञों, पेशेवरों, कृषि अर्थशास्त्रियों, विशेषज्ञ समितियों के वर्षों से दिए गए सुझावों और सिफारिशों के आधार पर विभिन्न

पणधारियों के साथ गहन परामर्श के पश्चात् बनाई गई थी । पिछले तीन दशकों के दौरान विभिन्न सरकारों ने ऐसे सुधार आरंभ करने के लिए प्रयास किए, किन्तु वे प्रयास समग्र रूप में नहीं थे । इसके अतिरिक्त पिछले कुछ समय में प्रौद्योगिकीय उन्नति भी हुई है ।

5. तथापि, इन विधियों के विरुद्ध केवल किसानों का एक समूह ही विरोध कर रहा है, सरकार ने कृषि विधियों के महत्व पर किसानों को समझाने और विभिन्न बैठकों और अन्य मंचों के माध्यम से कृषि विधियों के गुणों को स्पष्ट करने का प्रयास किया है । किसानों को उपलब्ध विद्यमान तंत्र को हटाए बिना, उनकी उपज के व्यापार के लिए नए आयाम उपलब्ध कराए गए थे । इसके अतिरिक्त, किसान अपनी पसन्द के स्थानों का जहां उन्हें किसी विवशतता के बिना अपनी उपज के लिए अधिक कीमत मिल सकती थी, का चयन करने के लिए स्वतंत्र थे । तथापि, पूर्वोक्त कृषि विधियों के प्रचालन पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गई है । कोविड की अवधि के दौरान, किसानों ने उत्पादन बढ़ाने के लिए और देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कठोर परिश्रम किया । जैसे कि हम देश की स्वतंत्रता का पचहत्तरवां वर्ष- "आजादी का अमृत महोत्सव" मना रहे हैं, इस समय प्रत्येक को समाविष्ट वृद्धि और विकास के पथ पर एक साथ ले चलने की आवश्यकता है ।

6. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, पूर्वोक्त कृषि विधियों का निरसन प्रस्तावित है । आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 की उपधारा (1क) जिसे आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 का 22) द्वारा अन्तःस्थापित किया गया था, का भी लोप करने का प्रस्ताव है ।

नई दिल्ली ;
24 नवम्बर, 2021

नरेंद्र सिंह तोमर

वित्तीय ज्ञापन

कृषि विधि निरसन विधेयक, 2021 भारत की संचित निधि से कोई आवर्ती या अनावर्ती व्यय अंतर्वलित नहीं करता है ।

उपाबंध

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम संख्यांक 10) से उद्धरण

*   *   *   *   *

3. (1)   *   *   *   *

आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, प्रदाय, वितरण, आदि का नियंत्रण करने की शक्तियां।

(1क) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,—

(क) ऐसे खाद्य पदार्थों की पूर्ति को, जिसके अंतर्गत अनाज, दाल, आलू, प्याज, खाद्य तेलहन और तेल भी हैं, जैसा केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, केवल असाधारण परिस्थितियों जिसमें युद्ध, अकाल, असाधारण कीमत वृद्धि और गंभीर प्रकृति की प्राकृतिक आपदा भी सम्मिलित है, में ही विनियमित किया जा सकेगा ;

(ख) स्टॉक सीमा अधिरोपित करने संबंधी कोई कार्रवाई, कीमत वृद्धि पर आधारित होगी और किसी कृषि उपज की स्टॉक सीमा को विनियमित करने वाला कोई आदेश इस अधिनियम के अधीन केवल तभी जारी किया जा सकेगा, यदि—

(i) उद्यान उत्पाद के खुदरा मूल्य में शत प्रतिशत वृद्धि हो; या

(ii) गैर-विनश्वर कृषि खाद्य पदार्थों के खुदरा कीमत में पचास प्रतिशत वृद्धि हो,

बारह मास के ठीक पूर्ववर्ती विद्यमान कीमत पर या पिछले पांच वर्ष की औसत खुदरा कीमत पर, इनमें से जो भी कम हो, है:

परंतु स्टॉक सीमा को विनियमित करने वाला ऐसा आदेश किसी कृषि उत्पाद के किसी प्रक्रमणक या मूल्य श्रृंखला सहभागी को लागू नहीं होगा, यदि ऐसे व्यक्ति की स्टॉक सीमा, प्रसंस्करण करने की अधिष्ठापित क्षमता की समग्र अधिकतम सीमा से अधिक या किसी निर्यातक की दशा में निर्यात की मांग से अधिक नहीं होती है:

परंतु यह और कि इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई बात, सरकार द्वारा इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली या लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित, किए गए किसी आदेश को लागू नहीं होगी।

स्पष्टीकरण—किसी कृषि उत्पाद के संबंध में "मूल्य श्रृंखला सहभागी" पद से यह अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत खेत से अंतिम उपभोग तक किसी कृषि उत्पाद के उत्पादन से सहभागियों का सेट और जिसमें प्रसंस्करण, पैकेजिंग, भंडारण, परिवहन और वितरण भी अंतर्वलित है, जहां प्रत्येक प्रक्रम पर उत्पाद के मूल्य में वर्धन किया जाता है।'।

*   *   *   *   *